

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 अगस्त 2015—श्रावण 28, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2015

क्र. 3766-262-इक्कीस-अ-(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 14 अगस्त, 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०१५

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) अधिनियम , २०१५

[दिनांक 14 अगस्त, 2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 19 अगस्त, 2015 को प्रथमबार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, २००० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है. संक्षिप्त नाम.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, २००० (क्रमांक ६ सन् २०००) की धारा २ में, खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ड) “अधोसंरचना परियोजना” के अन्तर्गत आते हैं सड़क, सिंचाई, जल प्रदाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निस्सारण, ऊर्जा, भांडागारण, खाद्यान्न भण्डारण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, बागवानी और किसी क्षेत्र की कोई अन्य अधोसंरचना संबंधी परियोजनाएं या इनमें से दो या अधिक क्षेत्रों की कोई बहुउद्देशीय परियोजना;”.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2015

क्र. 3767-262-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 16 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 16 of 2015.

THE MADHYA PRADESH ADHOSANRACHNA VINIDHAN NIDHI BOARD (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015

[Received the assent of the Governor on the 14th August, 2015; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 19th August, 2015.]

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Adhosanrachna Vinidhan Nidhi Board Adhiniyam, 2000.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-six year of the Republic of India as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Adhosanrachna Vinidhan Nidhi Board (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015.

Amendment of Section 2. 2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Adhosanrachna Vinidhan Nidhi Board Adhiniyam, 2000 (No. 6 of 2000), for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

“(e) “infrastructure projects” include projects in the sector of roads, irrigation, water supply, solid waste management, drainage, energy, warehousing, storage of food grain, food processing, health, education, skill development, information technology, horticulture and any other infrastructure project of any sector or a multipurpose project in any two or more of these areas;”.